

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0-16.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र मिडईलाल निवासी ककरैहा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 2. राकेश पुत्र श्रीराम निवासी नौली थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज 3. जगदीश पुत्र द्वारिका निवासी खजुरी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 4. अहवरन पुत्र देशराज निवासी पट्टी खुर्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-507/1992 वाद सं-13/1993 धारा- 365,368,120 बी भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.02.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-5 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कारावास व 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री कृष्णकुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर हे0का0 राजेश



पैरोकार हे0का0
श्यामसिंह





